कार्यालय- जिला पंचायत,श्रावस्ती।

पत्रांक 209 /नक्शा/जि0पं0/2022-23 दिनांक 13-07-2022

भवन निर्माण अनुमतिपत्र

उप प्रबन्धक, शिवालिक महाविद्यालय (कालेज आफ फार्मेसी)
स्थल- पटना खरगौरा, पोस्ट-पटना खरगौरा
वि0ख0-हरिहरपुररानी तहसील-भिनगा,
जनपद श्रावस्ती

आपके आवेदन दिनांक 11.07.2022 जो ग्राम पटना खरगौरा में सजरा/भूखण्ड संख्या 157 व 157 पर भवन की परिनिर्माण /पुन: परिनिर्माण /भूपरिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए भवन नक्शा / निर्माण की स्वीकृति से सम्बन्धित है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम -1961(यथा संशोधन) की धारा-239(1) एवं धारा-239(2)के अन्तर्गत निर्मित तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट द्वारा भवन नक्शा निर्माण को नियंत्रित करने वाली उपविधि के अन्तर्गत नक्शा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. भवन स्वामी द्वारा प्रस्तावित मानचित्र पर जिला पंचायत की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।
2. यह स्वीकृति भूमि के स्वामित्व के परिवर्तन से सम्बन्धित नही है अर्थात यह किसी के स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी, स्वीकृति नक्शों के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया जायेगा इससे विचलन की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी/आवेदक का होगा।
3. निर्माण स्थल पर 4 x 3 फीट का बोर्ड लगाकर जिला पंचायत द्वारा स्वीकृति मानचित्र से स्वीकृति सम्बन्धित विवरण अंकित कराना अनिवार्य होगा। जिनमे आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. प्रस्तावित आवासीय /व्यवसायिक भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न किया जाय।
5. स्थल का अधिभोग/उपयोग तथा निर्माण स्वीकृति प्रस्तावना के अनुरूप ही किया जायेगा।
6. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
7. मानचित्र स्वीकृति की वैधता अवधि 01 (एक)वर्ष होगी व अधिकतम 02 वर्षों तक बढ़ायी जा सकती है।
8. भवन निर्माण से यदि किसी सार्वजनिक नाली ,सड़क की पटरी अथवा सड़क अथवा नाली के किसी भाग (जो मकान के अग्रभाग,पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गयी हो) को हानि पहुँचे तो गृह स्वामी ,भवन तैयार हो जाने के 15 दिन के भीतर क्षतिग्रस्त हिस्से का मरम्मत करायेगा अथवा यदि जिला पंचायत के लिखित सूचना द्वारा निर्धारित समय में मरम्मत कार्य उस सीमा तक करायेगा जिससे जिला पंचायत संतुष्ट हो।
9. जल-मल की निकासी मार्ग की ओर न जाए।
10. भवन निर्माण के उपरान्त नियमानुसार रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य होगा।
11. आवेदक को मकान की नींव तथा छत बन जाने एवं पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आवासित हो जाने से पूर्व जिला पंचायत को देना होगा तथा उस व्यक्ति का नाम भी देना होगा जिसके पर्यवेक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
12. सुरक्षा की दृष्टि से भवन में नियमानुसार अग्निशमन यन्त्र लगाना होगा।
13. स्वामी को मकान निर्धारित अवधि में पूर्ण होने की सूचना जिला पंचायत को देना होगा। प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही उपभोग/अधिभोग किया जा सकेगा।
14. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य भवन स्वामी /आवेदक को स्वयं करना होगा।
15. मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग/रोड साइड लेण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम-7 यथावत लागू रहेंगे। (मुख्य सड़क एवं आन्तरिक सड़क की न्यूनतम चौड़ाई लोक निर्माण के अनुसार होनी चाहिए)
16. सार्वजनिक/नजूल भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण /अतिक्रमण नही किया जायेगा।
17. भवन स्वामी को रिक्त स्थान एवं सैट बैक में नियमानुसार वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।
18. आवेदक को नियमानुसार स्वयं के व्यय पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-श्रावस्ती

Scanned with CamScanner

19. भवन निर्माण /निर्माणोपरान्त स्थान पर यदि कोई घटना/दुर्घटना होती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व भवन स्वामी/ आवेदक का होगा।

अभियन्ता
जिला पंचायत श्रावस्ती।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत श्रावस्ती
जिला पंचायत श्रावस्ती

Scanned with CamScanner

जेला पंचायत / क्षेत्र पंचायत प्रपत्र-5

(नियम 41 देखिये)

ल साइडेड कार्बन पेपर पर अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा)

ना पंचायत / जिले का नाम सहित क्षेत्र पंचायत के नाम का रबड़ स्टाम्प

सं० C 4861 रसीद सं० 36

रजिस्टर संख्या .... से

.... रुपया (शब्दों में)

संख्या .... के पूर्ण / आंशिक भुगतान

.... के मद्दे प्राप्त हुआ।

.... रुपया।

Rs= 93970=

मुख्य अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी

न ....

ांक 12-07-20

कर समाकर्ता (टैक्स कलेक्टर)

या

कार

मांग तथा वसूली रजि० का प्रभारी
लिपिक / कर अधिकारी

जिला पंचायत / जिले के नाम सहित क्षेत्र पंचायत

के नाम का रबड़ स्टाम्प

बही सं० C 4861 रसीद सं० 36

रसीद के अनुसार भुगतानकर्ता का नाम ....

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि ....

रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई ....

रसीद के अनुसार कर समाहर्ता का नाम जिसने ....

धनराशि वसूल की ....

इस कूपन को जमा करने वाले

अधिकारी का नाम तथा पद नाम ....

कूपन जमा करने का दिनांक ....

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला पंचायत श्रावस्ती।

पत्रांक 209 / नक्श / जि0प0 / 2022–23 दिनांक 13-7-2022

–:नोटिस :–

मेसर्स शिवालिक महाविद्यालय (कालेज आफ फार्मेसी
नाम श्री / श्रीमती करण भूषण सिंह पुत्र बृजभूषण शरण सिंह
निवासी परसा खरगौरा पो0 परसा खरगौरा विकास खण्ड हरिहरपुररानी
थाना भिनगा तहसील भिनगा जनपद–श्रावस्ती।

आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा दिनांक 11-07-2022 को भवन नक्शा स्वीकृति हेतु जिला पंचायत श्रावस्ती में आवेदन किया गया था, जिस पर भवन नक्शा शुल्क रू0– 93979.00 शब्दों में तिरानबे हजार नौ सौ उन्यासी निर्धारित किया गया है। पत्र प्राप्त के तीन दिवस के अन्दर जिला पंचायत श्रावस्ती के जिला निधि जिला पंचायत श्रावस्ती के सन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया भिनगा के खाता संख्या 3186658885 आई0एफ0एस0सी0कोड CBINO284270 में धनराशि जमा करते हुए जमा रसीद की पर्ची कार्यालय जिला पंचायत श्रावस्ती को उपलब्ध करायें। उक्त की दशा में बैंक से पुष्टि होने के उपरान्त आपके भवन नक्शा की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। बिलम्ब होने की दशा में सम्बन्धित भवन स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

12.07.22

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत श्रावस्ती।

Scanned with CamScanner

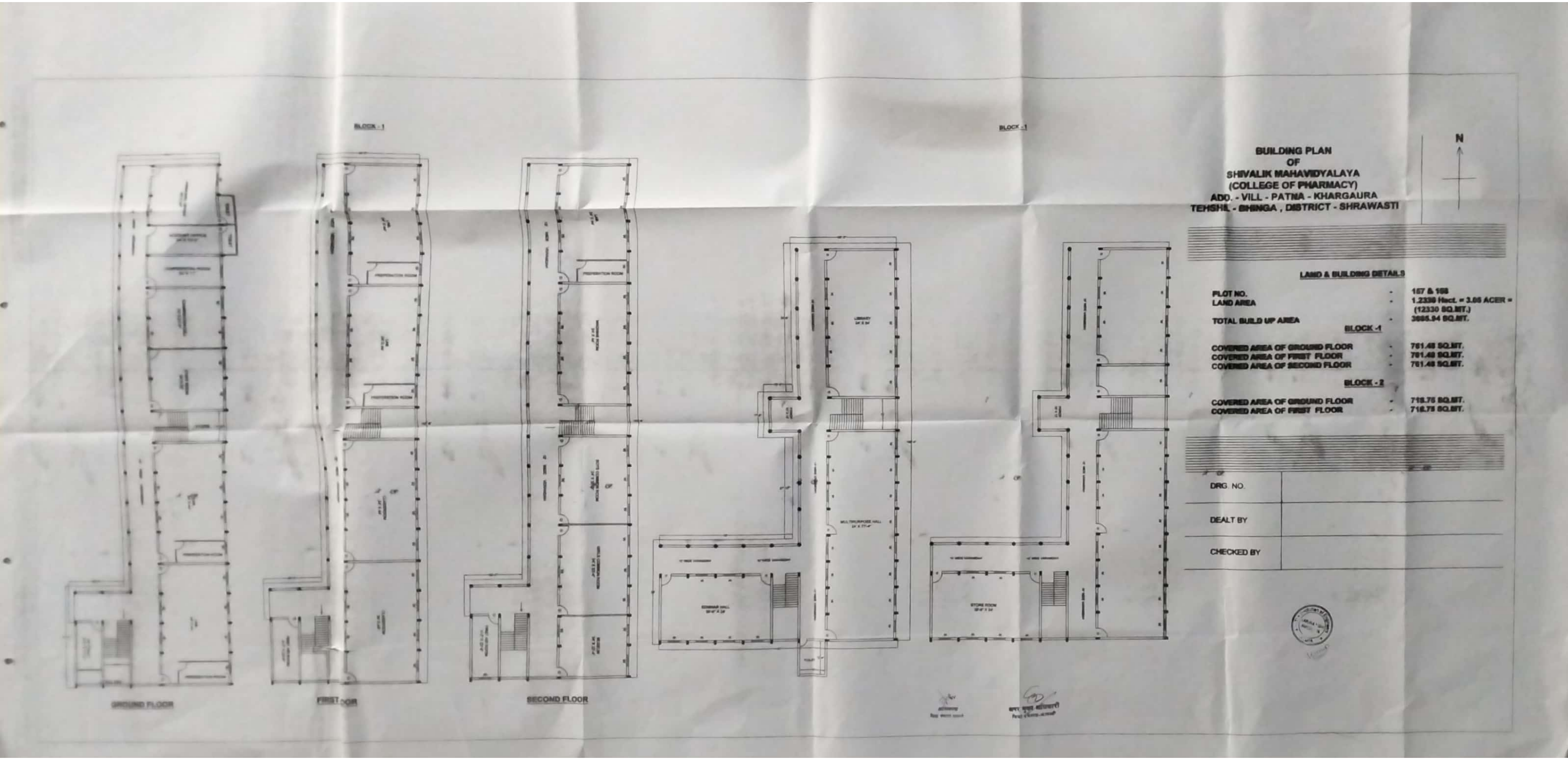

Scanned with CamScanner